राजस्व अपील संख्या 35 / 2022

अनवान

लुम्बाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावडी वगैरा

दिनांक 11 –03–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) बावडी जिला जोधपुर द्वारा आदेश कमांक / भू0अ0 / शुद्वि. / 2021 / 2422–23 दिनांक 19–08–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.–08–2021 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया ।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के जरिये तरमीम दुरस्ती करने बाबत आदेश पारित किया है जबकि धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी प्रकार का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को है न कि तहसीलदार को इसलिए तहसीलदार बावडी ने अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी ने अपीलाधीन आदेश हमे, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित कर दिया जबकि मौके पर हमारी फसल बोई हुई थी इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि तहसीलदार बावडी का आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ

न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, पुनः विधिवत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने अपील अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन एव अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी ने तरमीम दुरस्ती बाबत जो आदेश दिनांक 19–8–2021 को पारित किया है, ऐसा आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नही होते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो क्षेत्राधिकार विहिन एवं विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बावडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का नोटिस जारी कर उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर तहसीलदार बावडी के समक्ष प्रस्तुत ग्रम मोरनावडा के खसरा नंबर 106 रकबा 7.00 बीघा भूमि के संबंध मे विधिसम्मत तरीके से पुनः नये सिरे से तरमीम बाबत आदेश पारित करें । इस निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर